पत्रांक- 46

प्रेषक,

श्री गंगाधर लाल दास,
महासचिब ।
बिहार प्रशासनिक सेबा संघ ।

सेबा में,

श्री तारकेश्बर प्रसाद,
लोकायुक्त के उप सचिब।

पटना, दिनांक- 12.8.2002

बिषयः- श्री सी०के०अनिल, भा०प्र०से० के द्वारा गलत यात्रा भत्ता बिपत्र भुगतान प्राप्त करने के आरोप में बर्खास्तगी के संबंध में ।

प्रसंगः- निबंधन सं०-जेड 5/2002.

महोदय,

उपर्युक्त बिषयक अपने पत्रांक-जेड-5/02-89/लोक-जेड दिनांक-2-8-02 का कृपया निदेश करें ।

इस संदर्भ में सूचित करना है कि संघ द्वारा दिये गये पत्र एवं शप पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक संघ के पूर्व महासचिब श्री शशिभूषण बर्मा द्वारा गये पत्राचार के कागजातों पर आधारित हैं। साक्ष्य संबंधी छाया प्रति उसी छाया प्रति है। लोकायुक्त कार्यालय में श्री बर्मा द्वारा किये गये पत्राचार का पंजीयन सं०-1/लोक(कार्मिक) 20/96 है दर्ज है जो ज्ञाप सं०-1344 दिनांक-25-5-96 से लोकायुक्त के सचिब(प्रभारी)श्री रामाधार प्र० श्रीबास्तब के हस्ताक्षर से निर्गत है ।

चूँकि संघ कार्यालय में उपलब्ध मूल संचिका में संलग्न साक्ष्य संबंधी सभ अनुलग्नक छाया प्रति ही है, अतः छाया प्रति की छाया प्रति होते रहने के क स्बभाबतः ये सुगम रूप से पठनीय नहीं है। इसी कारण अनुलग्नकों की मूल प्रति संबंधित कार्यालय की सम्पत्ति है, की स्पष्ट प्रति उपलब्ध कराने में संघ अस हैं। बैसे दिनांक-5-8-2002 को जाँच पदाधिकारी यहां पूछ-ताछ के लिये आ थे, उन्हें के द्वारा पूछताछ के बाद मांग की गई एक अनुलग्नक की छाया प्रति पुनः उपलब्ध करा दी गई है ।

विश्वासभाजन,

गंगाधर लाल 12.8.02

(गंगाधर लाल दास)
महासचिब ।